भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3331

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना

3331. श्री अमरा रामः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में नदियों को आपस में जोड़ने की योजना लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश का आधा हिस्सा मानसून के मौसम में बाढ़ का सामना करता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा सूखे से ग्रस्त रहता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं/क्रियान्वित की जा रही हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): भारत सरकार ने वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी के तहत नदियों को जोड़ने (आईएलआर) का काम सौंपा गया है। एनपीपी को सूखे से होने वाली परेशानियों को कम करने और सालाना आने वाली बाढ़ के कहर को कम करने के लिए जल-अधिशेष बेसिनों से जल-कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में पानी का भंडारण और हस्तांतरण के लिए तैयार किया गया है। ये लिंक परियोजनाएं समुद्र में जाने वाले पानी की अप्रयुक्त मात्रा को कम करने के लिए तैयार की गई हैं। बाढ़ प्रवण/जल अधिशेष नदी बेसिनों से बाढ़ के जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ दिया जाएगा और कमांड क्षेत्रों में भूजल तालिकाओं, टैंकों और नहरों को भी रिचार्ज किया जाएगा। एनपीपी के तहत, 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 घटक और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 लिंक परियोजना। 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और सभी 30 लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) पूरी कर ली गई हैं।

एनपीपी के अंतर्गत प्रथम लिंक परियोजना, केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इस परियोजना को मार्च, 2030 तक पूरा किया जाना है। एनपीपी के तहत अन्य लिंक परियोजनाओं के लिए, पूरा किए जाने की समयावधि पक्षकार राज्यों द्वारा आवश्यक आम

सहमति पर पहुंचने और संबंधित लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लिंक विशिष्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर करेगा।

“भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन” पर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 21.213 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) आंका गया है और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र 20.538 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है ।

कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) योजना लागू की गई थी, जो बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) योजना के एक घटक के रूप में जारी रखा और इसे सितंबर, 2022 तक आगे बढ़ाया गया। इसके बाद, फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 4,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एफएमबीएपी योजना को मंजूरी दी है।

*****